सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

इस्तगासा गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :— 49/2015

बउनवान

सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस थाना मॉगरोल जर्ये जिला पुलिस अधीक्षक महो., बारां

(सायल)

बनाम

श्री हरिशंकर उर्फ शंकर पुत्र बिरधीलाल जाति यादव उम्र 42 वर्ष निवासी वार्ड नं0 3 मांगरोल थाना मांगरोल जिला बारां (राज.)

(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा—3

उपस्थिति :— 1— ए.पी.पी. (सायल)

2— श्री विजय सिंह चौहान अभिभाषक (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 15.3.2019

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल श्री हरिशंकर उर्फ शंकर पुत्र बिरधीलाल जाति यादव उम्र 42 वर्ष निवासी वार्ड नं0 3 मांगरोल थाना मांगरोल जिला बारां के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक बारां द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा—3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना मांगरोल जिला बारॉ ने जिला पुलिस अधीक्षक महो. बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना मांगरोल क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, इसके विरूद्व पुलिस थाना मांगरोल मे कुल 5 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ के तहत हुये दर्ज है। उक्त दोनों प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है। उक्त गैरसायल के विरूद्व थाने में 41/110 सी.आ.पी.सी. के तहत इंसदादी कार्यवाही भी की जा चुकी है। इसका आम जनता मे भय एवं आतंक व्याप्त है। इसके विरूद्व लोग रिपोर्ट करने मे कतराते है एवं साक्ष्य देने से भी डरते है। इसकी आपराधिक गतिविधिया निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नही है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित मे हितकर प्रतीत नही है। इस व्यक्ति के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत विधिक कार्यवाही कर इस जिले की सीमाक्षेत्र से निष्कासित किया जावे।

गैरसायल के विरूद्व दर्ज आपराधिक रिकार्ड निम्न प्रकार है :—

क्र.सं.	प्रकरण संख्या	जुर्म धारा	नतीजा	निर्णय न्यायालय
1.	14/13	13 आरपीजीओ	06/27.01.113	सजा/14.02.13
2.	59/13	13 आरपीजीओ	35/25.03.13	सजा/06.04.13
3.	73/13	13 आरपीजीओ	46/09.04.13	सजा/30.05.13
4.	123/13	13 आरपीजीओ	89/21.06.13	सजा/05.07.13
5.	212/13	13 आरपीजीओ	162/29.09.13	सजा/21.12.13
6.	104/14	13 आरपीजीओ	85/26.05.14	ट्रायल

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता पर भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को उपरोक्त 5 प्रकरणो के अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. में न्यायालय द्वारा दोष सिद्व भी ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरूद्व अन्तर्गत राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3 के तहत कार्यवाही की जावे।

इस्तगासा विरूद्व गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत इस्तगासा दिनांक 27.08.2015 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओ को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की जर्ये गिरफ्तारी वारन्ट से तलबी की गई। गैरसायल द्वारा न्यायिक अभिरक्षा मे जर्ये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। गैरसायल द्वारा जिला बदर होने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत कर, प्रकरण मे अन्तिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन किये जाने पर प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस ए.पी.पी. सरकार का मुख्य कथन है कि चूंकि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना मांगरोल जिला बारॉ मे कुल 5 प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. तहत दर्ज हुये है। उक्त प्रकरणो में न्यायालय द्वारा दोष सिद्व भी ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। इस सजायाबी आपराधिक रिकार्ड के आधार पर यह गुण्डा की परिभाषा मे आता है। इस आपराधिक सजायाबी रिकार्ड के आधार पर गैरसायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित है। उक्त केसो की पुष्टि सरकार पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेखो से होती है। यह व्यक्ति आपराधिक गतिविधियो मे लिप्त है।

इसके विपरीत गैरसायल द्वारा जर्ये अभिभाषक जिला बदर किये जाने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मैं ग्राम इटावा जिला कोटा मे वर्तमान मे मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता हूॅ। मेरे विरूद्व पुलिस थाना मॉगरोल द्वारा गुण्डा एक्ट की कार्यवाही इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है। जिसमे जिला बदर की कार्यवाही के फलस्वरूप मुझे थाना इटावा जिला कोटा (राज.) किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

हमने ए.पी.पी. प्रथम अभियोजन पक्ष सरकार एवं गैरसायल अभिभाषक की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखो का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत सहमति पत्र पर विचार किया गया। गैरसायल के विरूद्व 05 प्रकरण धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत पुलिस थाना मांगरोल में दर्ज किये गये है। उक्त उक्त प्रकरणों के अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्व ठहराया जाकर, सजायाब किया चुका है। गैरसायल द्वारा उक्त समस्त प्रकरणो मे जुर्म स्वीकार किये गये है तथा माननीय न्यायालय द्वारा गैरसायल को सजायाब कर प्रकरणों का निस्तारण किया गया है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों अनुसार यह साबित होता है कि गैरसायल श्री हरिशंकर उर्फ शंकर पुत्र बिरधीलाल जाति यादव निवासी वार्ड नं0 3 मांगरोल थाना मांगरोल जिला बारां (राज.) द्वारा उक्त अपराध किए गए है। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा मे आना पूर्णतया सिद्व है, क्योकि धारा 2 (आ)

(5) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के 5 प्रकरणों मे दोषी ठहराया हुआ है।

अतः श्री हरिशंकर उर्फ शंकर पुत्र बिरधीलाल जाति यादव निवासी वार्ड नं0 3 मांगरोल थाना मांगरोल जिला बारां (राज.) को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हॅू तथा धारा 3 (3) के प्रावधानो के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र मॉगरोल से 7 दिन के लिए निष्कासित का आदेश देता हॅू।

गैरसायल श्री हरिशंकर उर्फ शंकर पुत्र बिरधीलाल जाति यादव निवासी वार्ड नं0 3 मांगरोल थाना मांगरोल जिला बारां को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना मॉगरोल से 7 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि मे अपनी उपस्थित प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना इटावा जिला कोटा को देगा। इस अवधि मे अपराधी ऐसा कोई आचरण नही करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात इस अवधि मे पूर्ण सचरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधी मे भाग नही लेगा। गैरसायल न्यायालय के समक्ष 10,000/– रूपये का स्वंय मुचलका इस अवधि मे नेचलन रहने के संबंध मे पेश करेगा।

गैरसालय के विरूद्व यह आदेश दिनांक 1.4.2019 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां/कोटा एवं थानाधिकारी पुलिस थाना इटावा जिला कोटा को दी जावे। थानाधिकारी पुलिस थाना मांगरोल जिला बारॉ को तहरीर दी जावे, जिसमे यह लिखा जावे कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना क्षेत्र मांगरोल से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना इटावा जिला कोटा के सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 15.3.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ